

:- नगर पालिका साधारण सभा बैठक सूचना एवं कार्यसूची :-

एतद् द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 एवं स्वायत्त शासन नगरीय विकास ओर आवासन मण्डल विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 0916493 दिनांक:-11.11.2009 के नियम 4 के उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रावधानों अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा के आदेशानुसार दिनांक 04.11.2022 अतिआवश्यक साधारण सभा पालिका सभागार में अपराह्न 2.30 पी.एम पर आहूत करने हेतु मण्डल बैठक आयोजन श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगर पालिका नाथद्वारा के अध्यक्षता में नगर पालिका नाथद्वारा में रखी गई है। उक्त अतिआवश्यक मण्डल बैठक का एजेन्डा अथवा कार्यसूची प्रकरण अनुसार निम्नानुसार है:-

1. वाणिज्यिक कॉरीडोर बागोल धारचा बाई पास क्षेत्र हेतु प्रस्तावित विशेष भवन निर्माण उपनियमों के डाफ्ट पर चर्चा।
2. नगर पालिका नाथद्वारा मास्टर प्लान 2031 में संशोधन हेतु प्रस्तावित नवीन वाणिज्यिक कॉरीडोर भू उपयोग के 120 फीट रोड दाए एवं बाई ओर के प्रस्तावित डाफ्ट पर चर्चा।
3. नाथवास एवं कोठारिया बाईपास के निर्माण हेतु योजना के वित्त पोषण हेतु हडको से दीर्घवधि ऋण प्रस्ताव अनुमोदन।
4. प्रस्तावित रिवर फ्रन्ट योजना के वित्त पोषण हेतु हडको से दीर्घवधि ऋण प्रस्ताव अनुमोदन।
5. कृष्णा इन्टरप्रीटेशन सेन्टर के अन्तर्गत आन्तरिक विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के निर्माण हेतु पालिका मद एवं स्वदेश दर्शन योजना नाथद्वारा इन्टरप्रीटेशन सेन्टर कार्य के स्वीकृत राशि अनुसार से प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति एवं उक्त कार्य पूर्ण रूप से ई.पी.सी मोड पर करने हेतु विचार विमर्श।
6. इको ट्यूरिज्म पार्क के द्वितिय चरण हेतु संगीत एवं अन्य सुरक्षात्मक अतिरिक्त ढाँचागत कार्यों हेतु तकमीना अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति।
7. प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं उक्तानुसार कृषि भूमि/69 ए प्रकरणों हेतु भूमि शाखा से प्राप्त प्रकरणों पर विचार विमर्श एवं एम्पावर्ड कमेटी कार्यवाही अनुमोदन।
8. विभिन्न महत्वकांशी परियोजनाओं के निविदा अनुसार प्राप्त बोली मूल्यो अनुसार टेन्डर प्रीमीयम राशि अथवा टी.पी राशि की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति।
9. इको टूरीज्म पार्क अथवा थीम पार्क बाईपास हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांक प.6च लेखां/डीएलबी/आईडीएसएमटी/पीलीबंगा/2016/2046-2050 दिनांक 09.09.2016 अनुसार अधिशेष कोष को उक्त नवीन योजना के वित्त पोषण हेतु नियोजित करने हेतु स्वीकृति तथा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी करने के साथ निदेशालय से प्राप्त धारा 69 अनुसार प्रभावित खातेदारों के कय मूल्य समिति के निर्णय अनुसार नकद क्षतिपूर्ति एवं भूमि के बदले भूमि क्षतिपूर्ति प्रकरणों की सक्षम स्वीकृति।
10. नाथद्वारा भवन विनियम 2015 प्रारूप प्रस्ताव राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 339 एवं 340 अनुसार समस्त संशोधनों का समाहित करते हुए अन्तिम प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने पर विचार विमर्श।
11. कृष्णा सर्किल गणेश टेकरी नाथद्वारा को न्यूयॉर्क मिडटाउन मैनहैटन के टाईम्स स्क्वायर क्षेत्र की तर्ज पर मनोरंजन एवं महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र बिल्बोर्डों एवं प्रचार बोर्डों तथा अन्य मनोरंजन सुविधाएं वैष्णवजनों एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ई.पी.सी मोड में प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए सामान्य मद से उक्त क्षेत्र को विकसित करने हेतु डी.पी.आर./तकमीना अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति पर विचार विमर्श साथ ही उक्त कार्य हेतु प्रस्ताव अनुसार सक्षम एवं विशेषज्ञ क्षेत्र से बोलियो हेतु ई.ओ.आई आमंत्रित करने का अनुमोदन।

आयुक्त

नगरपालिका आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :- 16996-16999

1. माननीय डॉ० सी०पी० जोशी साहब, विधायक सभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
3. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा।
4. श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका नाथद्वारा।
5. श्रीमान् उप निदेशक महोदय (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
6. श्रीमान् मुख्य निष्पादन अधिकारी महोदय, मंदिर मण्डल नाथद्वारा।
7. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा।
8. श्री/श्रीमती पार्षद वार्ड न० नगरपालिका नाथद्वारा।
9. समस्त शाखा प्रभारी/कर्मचारी नगर पालिका नाथद्वारा।
10. श्री हरीश सैन सहायक प्रोग्रामर उक्त सूचना को पालिका वेबसाईट पर अपलोड करवाना सूनिश्चित करें।
11. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त

नगरपालिका नाथद्वारा

आयुक्त

नगरपालिका नाथद्वारा